निर्णय बइजलास के. आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी देवगढ जिला राजसमन्द राज0

प्र0 सं0 106/2017 रे0 वाद निर्णय दिनांक –23.05.2018

अनवान

1. श्री महेन्द्रसिह पिता सुमेरसिह जी राजपुत आयु 61 वर्ष निवासी पारडी तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0

– वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब तह0 देवगढ जिला राजसमन्द जरीये प्रतिनीधी राजस्थान राज्य सरकार
2. श्री मालमसिह पिता सुमेरसिह जी राजपुत आयु 57 वर्ष निवासी पारडी तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88 –89–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वादी का वाद संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम बणजारीया पटवार सर्कल पारडी तह0 देवगढ जिला राजसमन्द की सीमा मे वादी की आराजियात स्थित है जिसके खाता सं0 30/40 खसरा नं0 1 रकबा 5 बिघा 16 विस्वा, खसरा नं0 2 रकबा 3 बिघा 16 विस्वा खसरा नं0 3 रकबा 3 बिघा 16 विस्वा खसरा नं0 4 रकबा 1 बिघा 13 विस्वा, खसरा नं0 5 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा, खसरा नं0 6 रकबा 15 विस्वा खसरा नं0 7 रकबा 5 विस्वा खसरा नं0 8 रकबा 1 बिघा 8 विस्वा खसरा नं0 9 रकबा 1 बिघा 12 विस्वा, खसरा नं0 10 रकबा 6 बिघा 12 विस्वा, खसरा नं0 11 रकबा 2 बिघा 10 विस्वा, खसरा नं0 12 रकबा 1 बिघा 10 विस्वा खसरा नं0 20/03 रकबा 4 बिघा कुल किता 13 रकबा 36 बिघा 18 विस्वा भूमि स्थित है। साथ ही वादी की आराजियात वर्तमान खसरा नं0 20 रकबा 20 बिघा 18 विस्वा स्थित है। ग्राम पारडी पुर्व मे जागिरी गांव था उक्त गांव मे तत्कालिन जागिरदार श्री उदयसिह पिता शिवनाथ सिह जी थे । जिन्होने राजस्थान मे जागिरी प्रथा के बाद राज्य सरकार के गठन के समय अपनी समस्त आराजियात पट्टे से खातेदारो एव अन्य आराजियात कास्तकारो के नाम की एव शेष बची आराजियात राज्य सरकार के नाम की गई। वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पिता

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला–राजसमन्द

श्री सुमेरसिह जी के नाम तत्कालिन जागिरदार श्री उदयसिह पिता शिवनाथसिह जी ने जागिरी रिजम्सम से पुर्व एक पट्टा जारी किया गया एव अपनी जागिरी मे से निम्न पडोसो के मध्य की भूमि जिसमे खेतनामी गाजारो के नाम से स्थित था। एव पट्टे मे स्थित भूमि मे एक कुआ जिस पर चडस से पिलाई होती थी जरीये पट्टा मकसर सुद तीज सम्वत 2005 तदनुसार दिनांक 03.12.1948 को जारी कर दिया। उक्त दिये गये पट्टे मे जागिरदार की भूमि मे से जो सुमेरसिह जी के नाम पट्टा जारी किया गया उसके पडोस पुर्व मे खाती पेमा की पाल का सेरा तलाया की पाल की सेरा का पडोस जो वर्तमान मे पेमा के वारीस मिठु व रोशन के कब्जे का है। पडोस पश्चिम मे गुर्जर उदा चवान की कुडी का सेरा को जहा वर्तमान मे उदा के पुत्र मागु गुर्जर के कब्जे मे है तथा पडोस रामसिह जी व भाई चैनसिह के झालरा का अंकित है। जो वर्तमान मे सुर्यभानसिह व चन्द्रभानसिह जी के पास है व लाम्बा चोडा का खेत पट्टे मे अंकित है जो विक्रमसिह जी के पास है। पडोस उत्तर दिशा मे भद्दा काकर का बारला पाटा का बेडा बोराण का खेत नाई हमीर के पास जिसे नाई हमीर ने तिलोक लोहार व सुमेरसिह जी से क्रय किया एव वर्तमान मे उन्ही के वारीसान के कब्जे मे है। पडोस दक्षिण मे पारडी की गारवेती पडत जमीन स्थित थी जो वर्तमान मे दलपतसिह तेजारावल के वारीसान के कब्जे मे है। एव वादी एव प्रतिवादी स0 2 वर्तमान मे पट्टे मे दी गई समस्त पडोसियो के मध्य की भूमि पर काबिज होकर अपनी भूमि को कास्त एव विकसित कर रहा है। जागिरदार श्री उदयसिह जी द्वारा जारी किये गये पट्टे के बाद सवत 2005 के बाद से ही पट्टे मे दर्शित पडोसो के मध्य भूमि श्री सुमेरसिह जी के कब्जे हक हकुक मे रही एव उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वादी व प्रतिवादी सं0 2 के कब्जे हक हकुक मे है। उक्त पट्टे के बाद जब राजस्व रिकोर्ड मे प्रथम जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट के समय तत्कालिन खाता सं0 17 सम्वत 2005 मे जो भुमि उक्त पट्टे अनुसार जागिरी भाई बन्ट मे सुमेरसिह वल्द उदयसिह जी राजपुत के नाम दर्ज रिकोर्ड हुई उसमे खसरा नं0 1 से लगायत 12 तक नामी खेत डोली रा चोडा, भगडलार का चोडा, बडो खेत, फेरा खेडा का, भरा काक खाला, बचलो बन्दो, भगडीया रो कुडी, जामुनिया रो लो वट, तलायो, तलाया रो सेरो, बन्दा रो सेरो, ओडीलारलो के नाम से जो खेत थे वह दर्ज रिकोर्ड मे होकर राजस्व रिकोर्ड मे सुमेरसिह जी के नाम दर्ज हो गये एव वादी का मुख्य खेत आराजी नं0 20 तत्कालिन समय बिनानाम गैरकाबिल कास्त के नाम से राज्य सरकार के खाते दर्ज हो गया उक्त खेतनामी खेत गाजारो के नाम से स्थित था एव उसी के नाम से राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हुआ तत्कालिन समय खसरा नं0 20

सहायक कलेक्टर

करीब 30 बिघा 18 विस्वा भूमि थी जो वर्तमान मे 20 बिघा 18 विस्वा भूमि स्थित है। जागिरदार द्वारा दिये गये पट्टे मे पडोसी के मध्य जो भुमि सुपुर्द की गई उक्त भूमि मे से खसरा नं0 20 राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज रहने से वंचित रह गई परन्तु उक्त भूमि जिसका हवाला जागिरदार द्वारा दिये गये पट्टे मे अंकित है एव जागिरदार द्वारा अंकित कराये गये पडोसियो के मध्य स्थित है एव वर्तमान मे भी उक्त भूमि उन्ही पडोसो के मध्य एव उन्ही खसरा नं0 1 से 12 के पास स्थित है जिस पर वादी एव प्रतिवादी स0 2 का राजस्थान कास्तकारी अधिनियम लागु होने से पुर्व कब्जा है एव उक्त कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के वादी का चला आ रहा है। जो राजस्व रिकोर्ड की खसरा खतोनी जमाबन्दी सम्वत् 2005 से लगायत सम्वत् 2015 एव 2015 से लगायत 2042 मे उक्त आराजी खसरा नं0 20 रकबा 30 बिघा 18 विस्वा वर्तमान मे 20 बिघा 18 विस्वा भूमि पर कब्जा एव अधिपत्य खसरा गिरदावरी अनुसार भी नामी खेत गाजरो मे श्री सुमेरसिह जी एव उसकी मृत्यु के बाद वादी एव प्रतिवादी स0 2 का अंकित है। एव आज भी वादी एव प्रतिवादी स0 2 उक्त भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि आज दिन तक वादी एव प्रतिवादी स0 2 के अधिपत्य मे रही। भूमि का पट्टा वादी के नाम मय पडोसो के अंकित कर दिया गया। एव उसी आराजी नं0 20 मे से कुलिया 30 बिघा 18 विस्वा भूमि मे से 10 बिघा भूमि वादी एव वादी के पिता के नाम अलग समय मे दर्ज हुई। परन्तु वर्तमान जमाबन्दी मे आराजी नं0 20 बिघा 18 विस्वा भूमि बिलानाम गैरकाबिल कास्त मंगरी के रूप मे दर्ज है। जो वादी की पुस्तेनी भूमि होकर वादी के मालिकाना हक की है। परन्तु राजस्व रिकोर्ड के समय सेटलमेन्ट के समय से ही उक्त भूमि गलत रूप से राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकोर्ड हो गई। जब कि वास्तविक भूमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज रहने से खसरा नं. 20 बकाया रह गय आराजी सं0 20 की भूमि वादी के खातेदारी अधिपत्य एव उपभोग की है गलत रूप से बिलानाम दर्ज हो जाने से उक्त वाद बाबत घोषणा खातेदारी एव राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किये जाने का वादी का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड है प्रतिवादी को सुचना पत्र प्रेषित किया गया प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं0 2 ने फर्दकाम पर जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्रनुसार वाद वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई दसवेजो का अवलोकन किया गया। पट्टा दिनांक 03.12.48 का अवलोकन किया गया पटवार हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट सामिल फाईल की गई उसका अवलोकन किया गया । पट्टे मे अंकित पडोस एव पटवार हल्का द्वारा वर्तमान के पडोस एक ही है। खसरा गिरदावरी का

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 2 उक्त भूमि के दिये गये पट्टेनुसार काबिज है। अधिवक्ता वादी द्वारा पस्तुत निर्णय के. नान्जी एण्ड कम्पनी बनाम जेठशंकर दोसा ए आई आर 1961 सुप्रीम कोर्ट 1474 एव ए आई आर 1979 कलकता 50 का अवलोकन किया गया। वर्तमान भूमि दिये गये पट्टेनुसार बाउन्ड्री सीमा मे है एव वादी व प्रतिवादी सं0 2 काबिज है अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम बणजारीया पटवार सर्कल पारडी तह0 देवगढ जिला राजसमन्द की आराजी नं0 20 रकबा 20 बिघा 18 विस्वा भूमि बिलानाम गैरकाबिल कास्त से हटाया जाकर वादी श्री महेन्द्रसिह का 1/2 प्रतिवादी सं0 2 श्री मालम सिह को 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है एव उसीनुसार राजस्व रिकोर्ड मे नाम बतोर खातेदार वादी महेन्द्रसिह व प्रतिवादी सं0 2 मालमसिह का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को न्यायालय आम मे सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर देवगढ

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्द